INDIA NON JUDICIAL

IN-UP83883407952380Y

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

5343/26

JATIN KUMAR SAXENA
COURT COMPOUND SADAR MORADABAD
ACC. NO. 2179/2015

Certificate No.	:	IN-UP83883407952380Y
Certificate Issued Date	:	30-Mar-2026 09:44 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14675304/ MURADABAD SADAR/ UP-MRD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1467530462708134729899Y
Purchased by	:	MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
Description of Document	:	Article 31 Exchange of property
Property Description	:	PROPERTY SITUATED AT SAHYADRI YOJNA (PURV MAI SONAKPURYOJNA) TEH. AND DISTT. MORADABAD
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
Second Party	:	RAMZANI SO AJIMULLA
Stamp Duty Paid By	:	MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	12,65,300 (Twelve Lakh Sixty Five Thousand Three Hundred only)

LOCKED BY

VERIFIED BY

Please write or type below this line

रमजानी

सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

PF 0015478415

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcil.com before any reliance or action is taken on this document. Any discrepancy in the details on this certificate and/or any other security features of this document should be reported to the Stock Holding.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

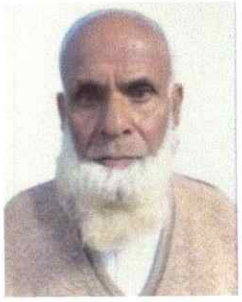

भूखण्ड की कुल कीमत रू0	:– **1,76,95,260.00**
मालियत पूर्णांक करने के पश्चात देय स्टाम्प रू०	:– 12,65,300.00
ई–स्टाम्प नंबर	:– IN-UP83883407952380Y
ई–स्टाम्प रू0	:– 12,65,300.00
निबन्धन शुल्क रू0	:– 1,80,820.00

समायोजन/विनिमय डीड

आज दिनांक–08/04/2026 को यह समायोजन/विनिमय डीड मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वारा **श्री देवेन्द्र सिंह यादव,** सहायक सम्पत्ति प्रभारी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, जिन्हे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है

एवं

श्री रमजानी पुत्र श्री अजीमुल्ला निवासी– मिलक भोला सिंह, सोनकपुर तहसील व जिला– मुरादाबाद जिन्हे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य अनुसूची–**अ व ब** में वर्णित भूमि का विनिमय–विलेख समायोजित भूखण्ड/**भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा** प्रदान किये जाने हेतु निष्पादित किया जा रहा है। सहयाद्रि योजना **(पूर्व में सोनकपुर योजना)** के अन्तर्गत कतिपय भू–स्वामियों की कुछ भूमि ऐसी भी है, जो न तो अधिग्रहीत की गयी है और न ही प्राधिकरण द्वारा क्रय की गयी है, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में भू–स्वामियों की भूमि के बदले 50 प्रतिशत भूमि के विकसित भूखण्ड, भू–स्वामियों को दिये जाने तथा विकसित भूखण्डो पर नियमानुसार विकास शुल्क प्राप्त किये जाने की स्वीकृति, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 133वीं बोर्ड बैठक दिनांक– 05.09.2023 के मद सं0–133/05 तथा 142वीं बोर्ड बैठक दिनांक– 27.09.2025 के मद संख्या– 142/03 में दी जा चुकी है।

और चूंकि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की, अनुसूची में वर्णित भूखण्ड/कृषि भूमि, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ग्राम–सोनकपुर, तहसील व जिला– मुरादाबाद में सह्याद्रि योजना के अन्तर्गत स्थित है, अतः उक्त प्रस्ताव के प्रकाश में आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन, अनुसूची में निर्दिष्ट भूखण्ड/भूमि, जिसको मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के विकसित क्षेत्र में होने के कारण, विनिमय के आधार पर प्रदान किया जा रहा है, द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित किया जा रहा है।

सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

रमजानी

ग्राम–सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित **गाटा संख्या– 693मि0 की भूमि 0.0945 हेक्टे0** भूमि का जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा निर्धारित दर के अनुसार भूमि की मालियत की गणना निम्नवत् है :–

तालिका– 1

गाटा संख्या	रकबा हैक्टे0 में	जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा 2025–26 की निर्धारित सर्किल दर	मालियत रूपये में
693मि0	0.0945 हेक्टे0	9000/– प्रति वर्ग मी0	85,05,000.00
		कुल धनांक रू0	**85,05,000.00**

तालिका– 2

द्वितीय पक्ष को दिये जाने वाले भूखण्डो व धनराशि सहित कुल मालियत–

भूखण्ड संख्या	कुल रकबा वर्ग मी0 में	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्डो की निर्धारित की गयी आवासीय दर	मालियत रूपये में
पॉकेट–ए (सेक्टर–4) के भूखण्ड संख्या– 124, 125 (भूखण्ड का क्षेत्रफल 112.50 व0मी0–टाईप– सी), एवं	225.00	39,600/– प्रति वर्ग मी0	89,10,000.00
पॉकेट–ए (सेक्टर–2) के भूखण्ड संख्या– 34 (भूखण्ड का क्षेत्रफल 162.00 व0मी0–टाईप– बी),	162.00	39,600/– प्रति वर्ग मी0	64,15,200.00
कुल	387.00	भूखण्डो की कुल मालियत	**1,53,25,200.00**
देय भूखण्डों का क्षेत्रफल 50% से कम होने के कारण, कम क्षेत्रफल 85.50 व0मी0 के सापेक्ष प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को देय धनराशि	85.50	27,720/– प्रति वर्ग मी0	23,70,060.00
		कुल मालियत	**1,76,95,260.00**

उपरोक्त वर्णित तालिकाओं में तालिका– 2 में अंकित भूखण्डो की मालियत अधिक होने के कारण उक्त मालियत पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है, जिसका विवरण तालिका– **A** में अंकित गया है।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड के उक्त निर्णय के अनुपालन में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के स्वामित्व की **गाटा संख्या– 693मि0 की भूमि 0.0945 हेक्टे0** योजना के अन्तर्गत स्थित होने के क्रम में समायोजित होने वाले देय विकसित भूखण्ड का विवरण इस प्रकार है :–

तालिका– A

1	द्वितीय पक्ष/भू–स्वामी का नाम व पता	**श्री रमजानी पुत्र श्री अजीमुल्ला निवासी– मिलक भोला सिंह, सोनकपुर तहसील व जिला– मुरादाबाद**
2	द्वितीय पक्ष की भूमि का गाटा संख्या एवं प्रभावित क्षेत्रफल	गाटा संख्या– 693मि0 की भूमि 0.0945 हेक्टे0
3	बोर्ड निर्णय अनुसार 50% भूमि का क्षेत्रफल	**472.50 वर्ग मी0**

सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

रमजानी

4	समायोजन/विनिमय हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डो का विवरण	पॉकेट–ए (सेक्टर–4) के भूखण्ड संख्या– 124, 125	(प्रत्येक भूखण्ड का क्षेत्रफल 112.50 व0मी0–टाईप–सी)	225.00
		पॉकेट–ए (सेक्टर–2) के भूखण्ड संख्या– 34	(प्रत्येक भूखण्ड का क्षेत्रफल 162.00 व0मी0–टाईप–बी)	162.00
	पॉकेट–ए (सेक्टर–4) के भूखण्ड संख्या– 124 व 125 का भाग गाटा संख्या– 664 तथा पॉकेट–ए (सेक्टर–2) के भूखण्ड संख्या– 34 का भाग गाटा संख्या–642 व 643 पर अवस्थित हैं।			
5	गाटा संख्या– 693मि0 की भूमि 0.0945 हेक्टे0 भूमि का 50 प्रतिशत, समायोजित भूमि क्षेत्रफल 472.50 वर्ग मीटर भूमि के सापेक्ष, विकसित भूखंड के कुल क्षेत्रफल 387.00 वर्ग मी०, द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है तथा कम क्षेत्रफल 85.50 वर्ग मी0 भूमि के मूल्य का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष द्वारा विनिमय विलेख निष्पादित करने पर आने वाले व्यय (स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क) का वहन स्वयं नहीं किये जाने के कारण, उक्त शुल्क का वहन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।	कुल 03 भूखण्ड	भूखण्डो का कुल क्षेत्रफल	387.00 वर्ग मी0
6	समायोजन/विनिमय हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डो का कुल क्षेत्रफल	387.00व0मी0		
7	निर्धारित 50% से क्षेत्रफल **(अधिक/कम)**	472.50–387.00= 85.50 वर्ग मी0 कम		
8	द्वितीय पक्ष को देय 85.50 वर्ग मी0 कम भूमि के सापेक्ष प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को देय धनराशि, जिसका भुगतान प्राधिकरण द्वारा 142वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में द्वितीय पक्ष द्वारा किया जा रहा है।	रू0 23,70,060.00		
9	द्वितीय पक्ष को देय भूखंड के कुल क्षेत्रफल का मूल्य	387.00 X रू0 39,600.00= रू0 **1,53,25,200.00**		
10	कुल मालियत (9+10)	रू0 **1,76,95,260.00**		

नोट–द्वितीय पक्ष द्वारा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण/प्रथम पक्ष के समक्ष समायोजन के माध्यम से 419.00 वर्ग मी0 भूमि के भूखण्ड द्वितीय पक्ष को दिये जाने की सहमति का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.03.2026 को दिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में ही समायोजन के माध्यम से द्वितीय पक्ष को दिये जाने वाले 419.00 वर्ग मी0 भूमि के भूखण्ड की गणना की मालियत के अनुसार ही कुल मालियत का 7 प्रतिशत स्टाम्प रू0 12,65,300.00 प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.03.2026 को क्रय किया जा चुका है तथा निबन्धन शुल्क रू0 1,80,820.00 उपनिबन्धक कार्यालय, मुरादाबाद में जमा किया जा चुका है। परन्तु स्टाम्प क्रय किये जाने व निबंधन शुल्क उपनिबन्धक कार्यालय में जमा किये जाने के पश्चात, द्वितीय पक्ष द्वारा पुनः दिनांक 06.04.2026 को 387.00 वर्ग मी0 भूमि के भूखण्ड समायोजन के माध्यम से दिये जाने का प्रार्थना पत्र प्राधिकरण कार्यालय में दिया गया है। चूंकि 419.00 वर्ग मी0 भूमि के भूखण्ड की गणना की मालियत के अनुसार ही रू0 12,65,300.00 का स्टाम्प प्रथम पक्ष द्वारा दिनांक 30.03.2026 को क्रय किया चुका है और निबंधन शुल्क उपनिबन्धक कार्यालय में जमा किया जा चुका है, अतः दिनांक 30.03.2026 को क्रय किये गये रू0 12,65,300.00 का स्टाम्प व उपनिबंधक कार्यालय में जमा किया गया निबंधन शुल्क रू0 1,80,820.00 को ही प्रश्नगत विनिमय विलेख में प्रयोग किया जा रहा है।

सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

रमजानी

आवेदन सं०: 202600719012649

विनिमय विलेख

वही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 5343 वर्ष: 2026

प्रतिफल- 18075420 स्टाम्प शुल्क- 1265300 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 180760 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 180820

रमजानी

श्री रमजानी ,
पुत्र श्री अल्लीमुल्ला
व्यवसाय : सेवानिवृत
निवासी: मिलक भोला सिंह सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद

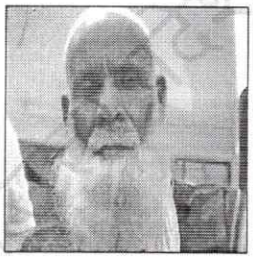

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 08/04/2026 एवं 04:41:51 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जुल जमाल फैसल
उप निबंधक :सदर प्रथम
मुरादाबाद
08/04/2026

कल्पिक कुमार .
निबंधक लिपिक
08/04/2026

11	कॉलम सं0–10 में अंकित कुल मालियत पर द्वितीय पक्ष द्वारा देय कुल स्टाम्प एवं	रू0 12,65,300.00
	निबन्धन/पंजीयन शुल्क	रू0 1,80,820.00
12	प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को उसकी समायोजित भूमि (50 प्रतिशत) 472.50व0मी0 के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी, 387.00व0मी0 भूमि अर्थात 853.50 व0मी0 कम भूमि के सापेक्ष, प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को कम भूमि का मूल्य धनांक रू0– 23,70,060.00 का भुगतान द्वितीय पक्ष **को किया जाना है, परन्तु द्वितीय द्वारा स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क का धनांक रू0– 14,46,100.00 का भुगतान प्राधिकरण द्वारा करने के कारण (रू0 23,70,060.00 – 14,46,100.00) कुल शेष रू0 9,23,960.00 का भुगतान श्री रमजानी पुत्र श्री अल्लीमुल्ला को केनरा बैंक के चेक संख्या– 400831 दिनांक–08.04.2026 के द्वारा किया जा रहा है।**	रू0– 9,23,960.00

अतः द्वितीय पक्ष द्वारा अनुसूची–अ में वर्णित आवासीय भूखण्ड का उपयोग, मुरादाबाद विकास क्षेत्र की महायोजना के भू–उपयोग के आधार पर, उपयोग किया जाना है।

यह विलेख साक्षी है कि, अनुसूची–अ में वर्णित भूखण्डों को, द्वितीय पक्ष के पक्ष में, विनिमय किये जाने हेतु, प्रथम पक्ष एतद्वारा स्वीकार करता है, कि प्रतिफलस्वरूप, तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों, जिनका द्वितीय पक्ष पालन करेगा, को ध्यान में रखकर, प्रथम पक्ष वह भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची–अ में दिया गया है, इस विनिमय विलेख के निष्पादन के दिनांक से, इसकी **अनुसूची–अ में वर्णित भूखण्डों पर द्वितीय पक्ष को समस्त वैधानिक आवश्यकतायें/विधिक औपचारिकताऐं पूर्ण होने के पश्चात, कब्जा प्राप्त हो जायेगा तथा प्रथम पक्ष/मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अभिलेखों में द्वितीय पक्ष का नाम नियमानुसार अंकित किया जायेगा तथा अनुसूची–ब में वर्णित भूमि, पर प्रथम पक्ष/एम०डी०ए० को निजी स्वामित्व एवं कब्जा प्राप्त हो जायेगा तथा राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष, प्रथम पक्ष/मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अपना नाम दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी होगा।** द्वितीय पक्ष प्रभावी विधि, नियमों एवं विनियमों के अधीन, उक्त भूखण्ड को हस्तान्तरित कर सकेगा एवं भूखण्ड पर निर्माण किये जाने वाले भवन पर देय करों को अथवा उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान करेगा तथा निर्माण करने से पूर्व, नियमानुसार, तत्समय लागू विकास शुल्क का भुगतान करते हुए, प्रथम पक्ष से अनुज्ञा प्राप्त करेगा। विनिमय विलेख के निष्पादन होने के उपरान्त, द्वितीय पक्ष एवं उसके वारिसान द्वारा भविष्य में अनुसूची ब में वर्णित भूमि पर किसी प्रकार का दावा/वाद–विवाद, किसी भी न्यायालय में करने का अधिकारी नहीं होगा। विनिमय विलेख निष्पादित होने के उपरान्त, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण/प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से प्राप्त भूमि पर विकास कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा और इस सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार की, कोई भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। इस विनिमय विलेख के निष्पादन की तिथि से अनुसूची–ब में वर्णित भूमि में द्वितीय पक्ष का स्वामित्व, कब्जा एवं समस्त अधिकार समाप्त हो जायेगे एवं स्वामित्व एवं कब्जा सम्बन्धी समस्त अधिकार पूर्णतः प्रथम पक्ष को प्राप्त होगें, तथा किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेम/दावा इस बावत द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के विरूद्ध, किसी भी न्यायालय के समक्ष योजित नही किया जायेगा। इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्यय को द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जा रहा है।

द्वितीय पक्ष के स्वामित्व की भूमि के सम्बन्ध में यदि भविष्य में कोई वाद/विवाद होता है, अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा भू–स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई तथ्य मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से छिपाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रश्नगत विनिमय विलेख स्वतः ही शून्य हो जायेगा और द्वितीय पक्ष को विनिमय विलेख के माध्यम से दिये गये भूखण्डों पर द्वितीय पक्ष का अधिकार समाप्त हो जायेगा।

सचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

रमजानी

जुल जमाल फैसल
उप निबंधक : सदर प्रथम
मुरादाबाद
08/04/2026

कल्पना कुमार .
निबंधक लिपिक मुरादाबाद
08/04/2026

यह स्पष्ट किया जाता है, कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के सम्बन्ध में, जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, प्रथम पक्ष उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों का तथा द्वितीय पक्ष में उसके दावाधिकारियों निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव सदैव रहेगा। इस विनिमय विलेख के साक्ष्य में द्वितीय पक्ष ने और प्रथम पक्ष की ओर से उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने, उस तिथि को हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है। इस विलेख में अभिदिष्ट अनुसूची निम्नवत है :–

अनुसूची–अ

जिसके स्वामी फरीक अव्वल/प्रथम पक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद है तथा जिसकी आराजी/सम्पत्ति फरीक दोयम/द्वितीय पक्ष को विनिमय की जा रही है। सम्पत्ति का विवरण–

भूखंड संख्या	भूखंड का क्षेत्रफल	
पॉकेट–ए (सेक्टर–4)–भूखण्ड सं0– 124	112.50 व0मी0	 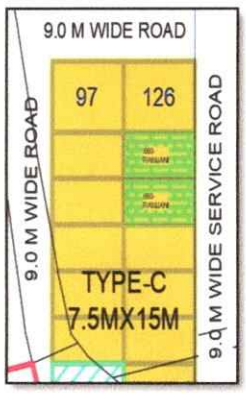
पॉकेट–ए (सेक्टर–4)–भूखण्ड सं0– 125	112.50 व0मी0	
पॉकेट–ए (सेक्टर–2)–भूखण्ड सं0– 34	162.00व0मी0	
भूखंडों का कुल क्षेत्रफल	**387.00 व0मी0**	
इस प्रकार निबन्धन हेतु भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल	**387.00 व0मी0**	

अनुसूची–ब

जिसके स्वामी फरीक दोयम/द्वितीय पक्ष **श्री रमजानी पुत्र श्री अजीमुल्ला निवासी– मिलक भोला सिंह, सोनकपुर तहसील व जिला– मुरादाबाद** आराजी/सम्पत्ति फरीक गाटा संख्या– 693मि0 की भूमि 0.0945 हैक्टे0 अव्वल/प्रथम पक्ष को विनिमय की जा रही है तथा जिसका विवरण निम्नवत है:–

सम्पत्ति का विवरण/फोटोग्राफ

सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

रमजानी

आवेदन सं०: 202600719012649

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 5343 वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

प्रथम पक्ष: 1

श्री सहायक समपत्ति प्रभारी एम०डी०ए० के द्वारा देवेन्द्र सिंह यादव , |MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY


पुत्र श्री राम मूर्ति यादव

निवासी: कार्यालय एम०डी०ए०

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 731M

द्वितीय पक्ष: 1

श्री रमजानी, |RAM ZANI


पुत्र श्री अल्लीमुल्ला

निवासी: मिलक भोला सिंह सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद

व्यवसाय: सेवानिवृत

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 155C

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री नरेन्द्र सिंह , पुत्र श्री खेम सिंह


निवासी: लेखपाल सोनकपुर मुरादाबाद

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2

श्री दिलीप सिंह , पुत्र श्री रंजीत सिंह यादव


निवासी: कार्यालया एम०डी०ए०

व्यवसाय: नौकरी

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उभय पक्षों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर निम्न गवाहों के समक्ष विनिमय/समायोजन डीड पर हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी नम्बर 1 –

हस्ताक्षर ----------

नाम– श्री नरेन्द्र

पदनाम – क्षेत्रीय लेखपाल, ग्राम सोनकपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद।

पिता का नाम – श्री खेम सिंह

साक्षी नम्बर 2 –

हस्ताक्षर ----------

नाम – श्री दिलीप यादव

पदनाम – लिपिक, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

पिता का नाम – स्व0 रंजीत सिंह यादव

रमजानी

सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

आवेदन सं०: 202600719012649

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 20900 के पृष्ठ 129 से 144 तक क्रमांक 5343 पर दिनाँक 08/04/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जुल जमाल फैसल
उप निबंधक : सदर प्रथम
मुरादाबाद
08/04/2026